15

Ri-197
11-10-12

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

क्रमांक 3077
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 12-10-12 को प्राप्त
रीडर
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

R.3592-II/12

देववती पुत्री सीताराम ब्राम्हण,

निवासी ग्राम विचारपुर, तहसील कोतमा,

जिला अनूपपुर (म0प्र0) =------------------------ आवेदिका

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन -- ---- अनावेदक

कार्यालय कलेक्टर शहडोल (म.प्र.)
28 SEP 2012
शाखा
अधीक्षक
कलेक्टर

निगरानी, विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार कोतमा, जिला अनूपपुर म0प्र0, रा0प्र0क्र0 26/अ-12/2010-2011, आदेश दिनांक- 20/07/2011

निगरानी, अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू रा0सं0 1959ई0

मान्यवर,

आवेदिका, निम्नलिखित कारणों से, निगरानी प्रस्तुत कर,

निवेदन करती है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं वाकायतन गलत है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि, आवेदिका ने, अपने पट्टे एवं स्वामित्व तथा कब्जे दखल की आराजी ग्राम लामा टोला, तहसील कोतमा, जिला- अनूपपुर म0प्र0 आराजी ख0 क्रमांक 33/8, रकबा 0-809हे0, 69/2 रकबा 0-263हे0, 77/1 रकबा 0-243हे0, 86/1 रकबा 0-283हे0, 87/1 रकबा 0-125हे0, 695/ रकबा 0-231हे0, कुल किता 6, के बटांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी।

//2//

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

देववती/शासन

प्रकरण कमांक निग0 3592–दो/12 **जिला –अनूपपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/4/16	आवेदिका द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 26/अ–12/2010–11 आदेश दिनांक 20–07–2011 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि का बटांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था । तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को नक्शा तरमीम करने का आदेश दिया, जिसमें खसरा नं0 33/8 में जहां आवेदिका का कब्जा था, वहां खसरा नं0 33/1 (क) दिया जबकि खसरा नं0 33/1 (क) की तरमीम हेतु कोई आवेदन पत्र आवेदक ने तहसीलदार को नहीं दिया था । आवेदिका ने 33/8 रकवा 0.809 है0 का बटा न0 कायमी हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया । प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदिका अभिभाषक के तर्क सुने।आवेदिका के द्वारा आवेदन में बटांकन तथा नक्शा तरमीम त्रुटिपूर्ण करने के आदेश के विरूद्ध निगरानी की है। जबकि उसके द्वारा तहसीलदार कोतमा के आदेश दिनांक 20–07–2011 के आदेश की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है। जिसका आवेदिका द्वारा दिनांक 21–05–2010 को सीमांकन हेतु प्रस्तुत किये गये, आवेदन पर सीमांकन पश्चात् सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि की है । जबकि निगरानी आवेदन में	

सीमांकन की प्रकिया त्रुटिपूर्ण होने के विरूद्ध कोई उल्लेख नहीं किया है । यदि आवेदिका तहसीलदार द्वारा किए गए नक्शा तरमीम के आदेश से असन्तुष्ट थी, तो उसके विरूद्ध सक्षमधिकारी के समक्ष अपील आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था । अतः उक्त स्थिति में निगरानी ग्राहय करने को कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी अग्राहय की जाती है ।

सदस्य